

आयन्दा कार्यवाही के लिये दिनांक 30.09.22 को पेश हो।

शेडर
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

30.09.22 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी जी. 31.12.22 को पेश हो। अतः पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के लिए दिनांक 05.12.22 को पेश हो।

शेडर
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

05.12.22 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी जी. 31.12.22 को पेश हो। अतः पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के लिए दिनांक 23.01.23 को पेश हो।

शेडर
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

23.01.23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी जी. 31.12.22 को पेश हो। अतः पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के लिए दिनांक 07.02.23 को पेश हो।

शेडर
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

07.02.2023 पत्रावली पेश हुई। पार्थी उपास्थित नहीं। ना ही पार्थी की ओर से अधिवक्ता उपास्थित। पार्थी को तीन बार आवाजे दिलवायी गई, इसके उपरान्त भी पार्थी उपास्थित नहीं हुआ। अतः पार्थी का आ-पत्र अंतर्गत धारा 84A R 19 जारी। पार्थी की अदम धाजरी अदम धाजरी में खारिज किया जाता है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा